संख्या-482/2017/2158/22-2-2016-17(405)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदल गिरी पुत्र श्री रामपाल गिरी निवासी जनपद-गाजियाबाद-वर्तमान जनपद-हापुड़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदल गिरी पुत्र श्री रामपाल गिरी, निवासी-ग्राम-हिण्डालपुर, थाना-पिलखुआ, जनपद-गाजियाबाद-वर्तमान जनपद-हापुड़ का रहने वाला है। बन्दी ने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रधानी का चुनाव हार जाने की रंजिश में दिनांक 24.03.1997 को अपरान्ह् 02:45 बजे विपक्षी महेश चन्द्र पर तमंचे से फायर कर हत्या की तथा परिवार के 06 अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-06/1998 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 17.11.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-3223/1999 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2007 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2016 तक 17 वर्ष 10 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 01 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 08 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय के आदेश द्वारा दोषमुक्त एवं 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश में 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रधानी का चुनाव हार जाने के कारण विपक्षी महेश चन्द्र पर तमन्चे से फायर कर हत्या करने तथा परिवार के 06 अन्य सदस्यों को धायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 48 वर्ष है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उदल गिरी पुत्र श्री रामपाल गिरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उदल गिरी (बन्दी संख्या-6395/1999) पुत्र श्री रामपाल गिरी निवासी जनपद- गाजियाबाद-वर्तमान जनपद-हापुड़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-482/2017/2158(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-482/2017/2158/22-2-2016-17(405)/2016

दिनांक 29 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदल गिरी पुत्र श्री रामपाल गिरी, निवासी-ग्राम-हिण्डालपुर, थाना-पिलखुआ, जनपद-गाजियाबाद-वर्तमान जनपद-हापुड़ का रहने वाला है। बन्दी ने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रधानी का चुनाव हार जाने की रंजिश में दिनांक 24.03.1997 को अपरान्ह् 02:45 बजे विपक्षी महेश चन्द्र पर तमंचे से फायर कर हत्या की तथा परिवार के 06 अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-06/1998 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 17.11.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-3223/1999 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2007 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2016 तक 17 वर्ष 10 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 01 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 08 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय के आदेश द्वारा दोषमुक्त एवं 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश में 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रधानी का चुनाव हार जाने के कारण विपक्षी महेश चन्द्र पर तमन्चे से फायर कर हत्या करने तथा परिवार के 06 अन्य सदस्यों को धायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 48 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उदल गिरी पुत्र श्री रामपाल गिरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in